



-प्रेस नोट-

दिनांक:05-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगांव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 15 साल से फरार चल रहे 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी बडगांव की पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **ओमप्रकाश उर्फ छंगा पुत्र चुरामन निवासी ग्राम श्यामपुर थाना फैजगंज बेहटा जिला बदायूं (सम्बन्धित वाद संख्या- 1369/16 माननीय न्यायालय देवबंद) मु0अ0सं0- 69/2009 धारा- 366 भादवि चालानी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर को उसके जनपद बदायूं से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

ओमप्रकाश उर्फ छंगा पुत्र चुरामन निवासी ग्राम श्यामपुर थाना फैजगंज बेहटा जनपद बदायूं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ०नि० श्री रामप्रकाश पाण्डेय थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. है०का० 268 अजय थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।



दिनांक- 05.02.2024

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले 01 अभियुक्त को किया गया

गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 10.01.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अंकुश पुत्र शेर सिंह निवासी मो0 कोठीवाला कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना सहारनपुर के विरुद्ध वादी की नाबालिग बहन को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 07/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं नाबालिग की सकुशल बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष चिलकाना श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में विवेचक उप निरी0 विनोद सिंह द्वारा पुलिस टीम के साथ नामजद अभियुक्त अंकुश पुत्र शेर सिंह निवासी मो0 कोठीवाला कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना सहारनपुर व विवेचना में प्रकाश में आये अभियुक्त सुमित पुत्र गोपी चन्द निवासी सरकथल हमीद थाना जनकपुरी सहारनपुर को गाव खानपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड से गिरफ्तार किया गया एवं पीडिता/अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया। तथा विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 366/376/120 भादवि व 3/4(2) पोक्सो अधिनियम की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्तगण को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. अंकुश पुत्र शेर सिंह निवासी मो0 कोठीवाला कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. सुमित पुत्र गोपी चन्द निवासी सरकथल हमीद थाना जनकपुरी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 सुरेश सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 509 राहुल शर्मा थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 1821टिकू यादव थाना चिलकाना सहारनपुर।
4. महिला का0 1452 कोमल थाना चिलकाना सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 04.02.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अरशद द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के सूचना के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 33/24 धारा 376/328/506 भा.द.वि व 3 / 4 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुये अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.02.2024 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त अरशद पुत्र बाशा निवासी ग्राम ताताहेड़ी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को ग्राम ताताहेड़ी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अरशद उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अरशद पुत्र बाशा निवासी ग्राम ताताहेड़ी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री उपेन्द्र राणा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. कां0 336 आमीन थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक - 05.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.02.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त दीपक शर्मा पुत्र सुरेन्द्र शर्मा निवासी 2/1275 रामनगर नालापटरी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद स0- 4494/23, मु0अ0सं0—446/12 धारा—279/338/427 भादवि चालानी थाना को0नगर सहारनपुर की नियत तिथि 23.02.2024 में थाना क्षेत्र कोताली नगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दीपक शर्मा पुत्र सुरेन्द्र शर्मा निवासी 2/1275 रामनगर नालापटरी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री जोनसन कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. का0 2330 सचिन कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक - 05.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 05.02.2024 को 01 वारंटी अभियुक्त मोनिस पुत्र खालिद रसूल निवासी मौहल्ला ढोलीखाल थाना कुतुबशेर सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 1499/21, मु०अ०सं० 123/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता -

1. मोनिस पुत्र खालिद रसूल निवासी मौहल्ला ढोलीखाल थाना कुतुबशेर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नेगी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री अनुज कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है०का० 54 आनन्द कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हुते चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.02.2024 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा एक वारण्टी **अभियुक्त सन्दीप पुत्र ईसम सिंह उर्फ परीना नि० ग्राम घाटहेडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं० 307/19 धारा 60(2) आवकारी अधि० व 272/273 भादवि मा० न्यायालय ए०डी०जे० स्पेशल जज(पोक्सो एक्ट) कक्ष सं० 14 नियत दिनांक 05.02.2024 को ग्राम घाटहेडा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सन्दीप उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सन्दीप पुत्र ईसम सिंह उर्फ परीना नि० ग्राम घाटहेडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री राजेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर।
3. पीआरडी जसबीर थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 10 घण्टे में हत्यारोपी पुत्र गिरफ्तार,
अभियुक्त की निशादेही पर आलाकत्ल डंडा बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 04.02.2024 की रात्रि को वादी प्रवीन पुत्र श्री रूपचंद निवासी गुडम्ब थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के बड़े भाई द्वारा पिता से कहासुनी के बाद सिर पर डंडे से वार करना जिसके बाद पिता की मौके पर मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0स0 24/24 धारा 304 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नानौता श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.02.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त हुकुमचन्द उर्फ बिटटु पुत्र रूपचन्द निवासी ग्राम गुडम्ब थाना नानौता सहारनपुर को ग्राम गुडम्ब के बाहर बने शनि मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त हुकुमचन्द की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक लकड़ी की फन्टी (डंडा) बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि हम तीन भाई हैं मैं तीनों भाईयों में सबसे बड़ा हूँ तथा मेरे पिताजी के पास 12 बीघा खेती की जमीन है मेरे पिताजी ने जमीन की वसीहत मेरे छोटे भाई के नाम कर दी थी इस बात से मैं काफी परेशान था जिसके बाद मेरा अपने पिता से सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर झगडा हो गया। मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया था तो मैंने पास मे रखा हुआ डंडा उठाकर अपने पिताजी के सिर मे वार कर दिया था जिससे मेरे पिताजी की मौके पर मृत्यु हो गयी और मैं वहां से भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

हुकुमचन्द उर्फ बिटटु पुत्र रूपचन्द निवासी ग्राम गुडम्ब थाना नानौता सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

आलाकत्ल 01 लकड़ी की फन्टी(डंडा)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री अमित कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
4. है0का 490 अरविन्द कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:05-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या-03 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई-

अवगत कराना है कि दिनांक 06.01.2022 को वादी उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना मण्डी के द्वारा अभियुक्त दानिष उर्फ मटरू पुत्र यासीन नि0 पानी की टंकी खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर के कब्जे से 150 ग्राम अवैध चरस बरामद होने की सूचना पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 05/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 366/2022 पर माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या-3 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में “**OPERATION CONVICTION**” में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या-3 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 05.02.2024 को दानिष उर्फ मटरू पुत्र यासीन को मु0अ0सं0 05/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री दीपक सैनी

विवेचक उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना मण्डी

पैरोकार का0 2328 कौषल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



दिनांक – 05.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 11 जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के मामले में 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा

अवगत कराना है, कि दिनांक 08.12.2024 को वादी श्री विजय भल्ला पुत्र रामलाल भल्ला निवासी इन्द्राजी चन्द्र नगर कृष्णनगर दिल्ली के भाई मे मकान में घूसकर अभियुक्तगण 1.शुभम पुत्र सतपाल निवासी ईस्माईपुर थाना कुतुबशेर सहारनपुर, 2.सूरज पुत्र बसन्त निवासी मंढ थाना कोतवाली देहात सहारनपुर द्वारा वादी के भाई भल्ला की हत्या कर मकान के अन्दर बन्द कर बाहर का ताला लगा देने की सूचना पर मु0अ0सं0 320/2014 धारा 302,34 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0- 519/2015 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 05.02.2024 को अभियुक्तगण 1.शुभम पुत्र सतपाल व 2.सूरज पुत्र बसन्त मु0अ0सं0 320/2014 धारा 302,34 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक अभि0 को 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित कुमार

विवेचक निरीक्षक श्री महावीर सिंह विवेचक

पैरोकार है0का0 963 सचिन बालियान थाना रामपुर कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर